विधिका

2026

विभागीय हिन्दी पत्रिका

अंक : 4

विधिकार्य निदेशालय

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

विधिकार्य निदेशालय ''विधिका''

विधिका अंक - 04

विभागीय हिंदी पत्रिका

संदेश

अध्यक्ष

श्री विवेक चतुर्वेदी (अध्यक्ष)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

विशेष सचिव एवं सदस्य

श्री सुरजीत भुजबल
अनुपालन, कार्यान्वयन एवं विधिक

संरक्षक

श्री अरविंदर सिंह रंगा (प्रधान आयुक्त)

प्रबंधक

श्री विनोद कुमार अहिरवार (अपर आयुक्त)

संपादन मंडल

श्री रमेश पाल (सहायक निदेशक) राजभाषा
डॉ प्रबोध कुमार उपाध्याय (वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी)
श्रीमती नीति राय (कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी)

संपर्क सूत्र

विधिकार्य निदेशालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
चतुर्थ एवं पंचम तल, राजेंद्र भवन, 210, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली- 110002

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	रचनाकार	पृष्ठ सं.
1.	संदेश	श्री विवेक चतुर्वेदी, अध्यक्ष	6
2.	संदेश	श्री सुरजीत भुजबल, विशेष सचिव एवं सदस्य	7
3.	संदेश	श्री अरविंदर सिंह रंगा, प्रधान आयुक्त	8
4.	संदेश	श्री विनोद कुमार अहिरवार, अपर आयुक्त	9
5.	अंधकार से प्रकाश की ओर	श्रीमती कोषांगी गुप्ता, स्टेनो ग्रेड –1	10
6.	अग्निशामक एवं नियंत्रण पर प्रशिक्षण	मुख्यालय अनुभाग	11
7.	वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोने चांदी की खनक	श्री राहुल कुमार, कर सहायक	14
8.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक सभ्यता का नव-उन्मेष और चुनौतियाँ	डॉ प्रबोध कुमार उपाध्याय वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	16
9.	अहंकार	श्री विजय मावी, प्रशासनिक अधिकारी	19
10.	सतर्कता सप्ताह 2025	मुख्यालय अनुभाग	20
11.	मेरी छोटी बहन	आबीर मुखर्जी (कक्षा 5) सुपुत्र – श्रीमती इप्सिता रॉय मुखर्जी, कार्यकारी सहायक	21
12.	जिज्ञासा	श्री उमाकान्त, हेड हवलदार	22
13.	चित्रकारी	कुमारी सनाया सिंह (कक्षा- तृतीय) सुपुत्री – श्री संजय कुमार, प्रशासनिक अधिकारी	23
14.	चित्रकारी	कुमार समर सिंह (कक्षा – प्रथम) सुपुत्र – श्री संजय कुमार, प्रशासनिक अधिकारी.	24
15.	नारी की उड़ान	स्वरचित और मौलिक अंजू 'अन्विता' पत्नी – श्री विनोद कुमार अहिरवार, अपर आयुक्त	25
16.	बचपन	स्वरचित और मौलिक अंजू 'अन्विता' पत्नी – श्री विनोद कुमार अहिरवार, अपर आयुक्त	26
17.	चित्रकारी	कुमार आरिव शास्वत (कक्षा- तृतीय) सुपुत्र – श्रीमती एस. श्वेता, अधीक्षक	27
18.	चित्रकारी	कुमार हर्षिल ठुकराल (कक्षा- यू.के.जी) सुपुत्र – श्रीमती नेहा, डी.इ.ओ	28
19.	खामोशी की आदत	श्री सुरेंद्र, एम.टी.एस	29

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	रचनाकार	पृष्ठ सं.
20.	चित्रकारी	श्री जितेंद्र वर्मा, कर सहायक	30
21.	चित्रकारी	कुमारी शाएशा चौहान (कक्षा- तृतीय) सुपुत्री - श्री यश चौहान, हवलदार	31
22.	बातों बातों में नई सीख	श्री नागेंद्र पाण्डेय, निरीक्षक	32
23.	सफलता	श्री नागेंद्र पाण्डेय, निरीक्षक	34
24.	कार्यालय का पंचम तल पर विस्तार एवं नवोनिर्माण	मुख्यालय अनुभाग	35
25.	कविता - I	श्री राज अरोड़ा (भाई, श्री राजेश अरोड़ा सहायक आयुक्त)	36
26.	सीबीआईसी इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मेरे अनुभव	विशाल, इंटर्न	37
27.	सीबीआईसी इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मेरे अनुभव	प्रिंस राज सिंह, इंटर्न	39
28.	हिंदी पखवाड़ा 2025	राजभाषा अनुभाग	41
29.	कविता - II	श्री राज अरोड़ा (भाई, श्री राजेश अरोड़ा सहायक आयुक्त)	42
30.	हिंदी पखवाड़ा का आयोजन व पुरस्कार वितरण समारोह	राजभाषा अनुभाग	43
31.	हिंदी कार्यशाला का आयोजन	राजभाषा अनुभाग	44
32.	कार्यालय में "स्वच्छता ही सेवा" शपथ ग्रहण समारोह - 2025	मुख्यालय अनुभाग	45
33.	सत्यनाम सतगुरु कबीर साहब	अजय कुमार मल्होत्रा, स्टेनो ग्रैड I	48
34.	विधिकार्य निदेशालय एवं एसएमसी परिसर में तत्कालीन सदस्य महोदय का स्वागत किया गया	मुख्यालय अनुभाग	50
35.	विधिकार्य निदेशालय द्वारा नेत्रहीन विद्यालय में अलमारियाँ एवं अन्य जरूरत की वस्तुएँ प्रदान	मुख्यालय अनुभाग	51
36.	राजभाषा अधिनियम से साक्षात्कार	राजभाषा अनुभाग	52
37.	सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन	मुख्यालय अनुभाग	58

विवेक चतुर्वेदी
अध्यक्ष
Vivek Chaturvedi
Chairman

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि विधिकार्य निदेशालय अपनी विभागीय हिंदी पत्रिका "विधिका" के चतुर्थ अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु यह एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है।

हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। इसमें अन्य भाषा के शब्दों को अपना लेने की अद्‌भुत क्षमता है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में देश के हर क्षेत्र, प्रांत के लोग आते है एवं अपनी भाषा एवं बोली में अपनी रचना को आकार देते हैं जिससे कोई भी पत्रिका भारत के बहु-संस्कृति के दर्पण जैसी बन जाती है।

विभागीय पत्रिका के माध्यम से विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का उचित मंच प्राप्त होता है जिससे उनके भाषाई कौशल में भी वृद्धि होती है तथा राजभाषा हिंदी में मूल लेखन एवं सृजनशीलता की ओर अग्रसारित होते हैं।

"विधिका" के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएँ।

(विवेक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष

Kartavya Bhawan-01, New Delhi-110001 Tel.: +91-11-24012710-12 E-mail: vivek.chaturvedi67@gov.in

सुरजीत भुजबल भा.रा.से. (सी.शु.एवं अ.क.)
विशेष सचिव
सदस्य (अनुपालन प्रबंधन) सी.बी.आई.सी.
SURJIT BHUJABAL I.R.S. (C& IT)
Special Secretary
Member (Compliance Management) CBIC

सत्यमेव जयते

BRICS
INDIA 2026

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली - 110001
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Kartavya Bhavan-1 New Delhi - 110001
Tel.: 011-24012760
E-mail: memberinv.cbic@gov.in

संदेश

विधिक कार्य निदेशालय द्वारा विभागीय हिंदी पत्रिका "विधिका" का प्रकाशन अत्यंत सराहनीय पहल है। यह न केवल हिंदी भाषा के महत्व और व्यापकता को रेखांकित करता है, बल्कि कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के सशक्त प्रयोग को भी प्रोत्साहित करता है।

2. पत्रिका में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ कविताएँ, विचार, लेख तथा विविध गतिविधियों की झलक-एक सुंदर और प्रेरक संकलन के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

3. मुझे विश्वास है कि "विधिका" का यह अंक पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं रोचक सिद्ध होगा।

"विधिका" के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

सुरजीत

(सुरजीत भुजबल)
विशेष सचिव एवं सदस्य
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अरविंदर सिंह रंगा
प्रधान आयुक्त
विधिकार्य निदेशालय
नई दिल्ली

संदेश

हिंदी पत्रिका "विधिका" के चौथे अंक के लिए मेरी ओर से विधिकार्य निदेशालय के सभी अधिकारियों व संपादन मंडल को हार्दिक शुभकामनाएँ। इस पत्रिका का प्रकाशन निदेशालय के सभी अधिकारियों का राजभाषा के प्रति प्रेम एवं निश्छल निष्ठा को प्रदर्शित करता है। इस कार्यालय का अधिकांश कार्य विधिक प्रकृति का होने के बावजूद भी राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास किया गया है एवं सभी अधिकारी व कर्मचारी राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने दैनिक सरकारी कामकाज के साथ-साथ विभागीय पत्रिका के लिए समय निकाल पाना अत्यंत सराहनीय कार्य है। इस पत्रिका के प्रकाशन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अधिकारी सराहना के पात्र है।

"विधिका" के इस अंक के सभी रचनाकार सराहना के पात्र हैं। आशा है पाठकों को उनका यह प्रयास पसंद आएगा तथा आप उन्हें स्नेह देकर प्रतिक्रिया देंगे।

शुभकामनाओं सहित।

(अरविंदर सिंह रंगा)
प्रधान आयुक्त

विनोद कुमार अहिरवार
अपर आयुक्त
विधिकार्य निदेशालय
नई दिल्ली

संदेश

भारत की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में विभागीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन विशेष स्थान रखता है। हिंदी पत्रिका का प्रकाशन न केवल राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अधिकारियों व कर्मचारियों की रचनात्मकता एवं लेखन क्षमता को भी बढ़ावा देता है।

"विधिका" में निदेशालय की विभिन्न गतिविधियों को साथ-साथ सभी वर्ग के अधिकारियों द्वारा रचित विविध सामग्रियों को समाविष्ट किया गया है। मैं लेखकों तथा उनके परिवारजनों की सृजनशीलता व रचनात्मकता की प्रशंसा करता हूँ एवं उन्हें धन्यवाद करता हूँ जिन्होनें विविध रचनाएँ एवं चित्र भेजकर "विधिका" को समृद्ध किया है। इस अथक प्रयास के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इस अंक के प्रकाशन में अपना यथेष्ट योगदान दे पाया।

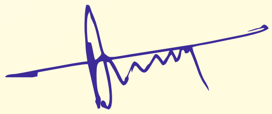

(विनोद कुमार अहिरवार)
अपर आयुक्त

अंधकार से प्रकाश की ओर

मृगतृष्णा से भ्रमित मन
उर के भीतर तम
गहन से गहनतम
प्रतीत निश्छल नयनों में
नित्य वासनाओं के नए-नए रंग
विरह रागिनी में बंध जाती
मधुमय रागों का यह जीवन
मौन, व्याकुल, विवश अंतस्थल
देता दोष नियति को प्रतिपल
प्रतीक्षारत वह सकल भाव से
कब सरवर में आए शतदल
पग-पग निहारता मंजिल की वह दूरी
जैसे मृग खोजता अपनी कस्तूरी।
पर जगता जब पुण्य-प्रकाश
फट पड़ता निरसता का राग
टूटता तिलिस्म, मधुमय गुंजार
व्योम का होता विस्तार
अप्रतिहत बढ़ता वह ध्येय पथ पर
मानों सिंधु में आ गया हो ज्वार
काल रात्रि के निशीथ दृगों में
जगाता ज्योति का वह अगार
शून्य आवरण में खुद को समेट कर
करता अस्तित्व की वह पहचान
आत्मज्ञान का परिचय पाकर
वरता आनंद को वह चिर-काल ।।

श्रीमती कोषांगी गुप्ता
स्टेनो ग्रेड – 1, विधिकार्य निदेशालय

दिनांक 11-02-2026 को विधिकार्य निदेशालय में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अग्निशामक एवं नियंत्रण पर प्रशिक्षण दिया गया

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सोने चांदी की खनक

डॉलर का अंतिम दौर? करेंसी क्रंच की आहट और सोना-चांदी का सुनहरा मौका! क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े तूफान की ओर बढ़ रही है?

अमेरिका का कर्ज $38.40 ट्रिलियन को पार कर चुका है, BRICS नई सोना-समर्थित करेंसी ला रहा है, चीन-मेक्सिको चांदी पर पाबंदी लगा रहे हैं। डॉलर का राज ढल रहा है – यह हकीकत है। आइए खोलें करेंसी क्रंच का राज, इतिहास से सबक लें और सोना-चांदी में निवेश की सलाह लें। अमेरिका का डूबता कर्ज: $38 ट्रिलियन का बम! अमेरिकी कर्ज दिसंबर 2025 तक $38.40 ट्रिलियन पहुंच गया, GDP का 130% से ऊपर। हर दिन $6.12 बिलियन का इजाफा – Fed की प्रिंटिंग पर भारी बोझ।

यह मुद्रास्फीति बढ़ा रहा, डॉलर की वैल्यू गिरा रहा – वैश्विक व्यापार पर संकट। 2008 से दोगुनी रफ्तार से बढ़ा कर्ज, करेंसी क्रंच का खतरा। डी-डॉलरीकरण: डॉलर की गद्दी हिल रही! रूस-चीन-भारत डॉलर से दूर, 2025 में ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा गैर-डॉलर में। SCO (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन) में लोकल करेंसी में व्यापार, रूस ने SCO सदस्यों के साथ 92% व्यापार नेशनल करेंसी में किया। ट्रेंड चला तो कीमतें आसमान – क्रंच पक्का!

BRICS करेंसी: सोना-चांदी का वेटेज वाला नया सूरज! BRICS ने 2024-2025 समिट में गोल्ड-बैक्ड 'Unit' लॉन्च किया – रूस-चीन सोना भंडार (50% ग्लोबल खरीद) पर आधारित।

डॉलर निर्भरता कम, BRICS 50% गोल्ड प्रोडक्शन कंट्रोल। भारत के सोना भंडार (दुनिया 8वें) से मजबूत भूमिका। चीन-मेक्सिको की चांदी पाबंदी: सप्लाई शॉक का धमाका!चीन ने 2026 से सिल्वर एक्सपोर्ट पर सख्त कंट्रोल – लाइसेंस केवल बड़े एक्सपोर्टर को, घरेलू सप्लाई बचाने।

चीन की चांदी पर पाबंदी : 1 जनवरी 2026 से शुरू ! चीन सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर सख्त लाइसेंसिंग लगाई – केवल बड़े एक्सपोर्टर (80 टन सालाना प्रोडक्शन + $30 मिलियन क्रेडिट लाइन) को आपूर्ति की अनुमति। छोटे-मध्यम फर्म बाहर, 60-70% ग्लोबल सप्लाई घरेलू यूज के लिए रिजर्व – सोलर, EV, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए।

मेक्सिको (25% ग्लोबल सिल्वर) ने माइनिंग फ्रीज, एक्सपोर्ट कंट्रोल संभावना – US को 44% सिल्वर मेक्सिको से ही प्राप्त होता है। मांग के अनुसार चांदी 5 साल से डेफिसिट, 800 मिलियन औंस की ग्लोबल शॉर्टेज! यह पाबंदी कीमतों को रॉकेट की तरह उड़ा सकती है।

इतिहास का सबक: 1971 रीसेट vs आज का संकट - 1971 का Nixon शॉक एक ऐतिहासिक विस्फोट था! राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया – डॉलर अब सोने से सीधा जुड़ा नहीं रहा, फ्री-फ्लोटिंग हो गया। नतीजा? सोने की कीमत $35 प्रति औंस से महज 10 साल में $800 तक उछल गई – पूरे 22 गुना का धमाकेदार रिटर्न!

आज का संकट वैसा ही, लेकिन और खतरनाक! $38 ट्रिलियन कर्ज, QE (क्वानिटैटिव ईज़िंग) यानी फेडरल रिजर्व का अनलिमिटेड पैसे छापना – सरकारी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज खरीदकर बाजार में ट्रिलियन्स डॉलर की बाढ़ लाना, ब्याज दरें कम रखना। युक्रेन-मिडिल ईस्ट तनाव के साथ यह वैसी ही प्रिंटिंग मशीन की ओवरड्राइव है। तब की तरह आज भी डॉलर पर भरोसा डगमगा रहा और सोना-चांदी की चमक बढ़ रही।

चांदी का ड्यूल बेनिफिट: ज्वेलरी + इंडस्ट्रियल जादू! चांदी सिर्फ आभूषण नहीं, इंडस्ट्री का राजा – ड्यूल बेनिफिट से निवेश डबल रिटर्न! ज्वेलरी: भारत में 60% डिमांड, शादियां-त्योहार चमक बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल यूज – इलेक्ट्रिक व्हीकलर में Samsung की 9 मिनट चार्जिंग बैटरी में चांदी का उपयोग, सेमीकंडक्टर चिप्स, सोलर पैनल (हर पैनल में 20g सिल्वर)। EV, 5G बूस्ट से डिमांड आसमान! पाबंदी से आपूर्ति कठिन दौर से गुजर रही है, ज्वेलरी और इंडस्ट्रियल डिमांड से चांदी रॉकेट की तरह भाग रही है।

निवेश की सलाह: पैसे का निवेश सोना-चांदी में करें। टैन्जबल एसेट्स में निवेश ही बचाव – ये चमकेंगे। कागजी निवेश फेल, क्रंच में करन्सी गिर सकती है, जबकि सोना-चांदी उड़ान भर सकते है।

कैसे निवेश करें?

फिजिकल गोल्ड-कॉइन्स या स्टॉक मार्केट में MCX फ्यूचर्स, सिल्वर ETF में अपने जमापूँजी का 10-20% हिस्सा निवेश कर सकते है।

श्री राहुल कुमार
कर सहायक, एसएमसी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence): आधुनिक सभ्यता का नव-उन्मेष . और चुनौतियाँ

वर्तमान शताब्दी के तकनीकी परिदृश्य में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) एक ऐसी युगांतकारी विधा के रूप में उभरी है, जिसने मानव और मशीन के मध्य की पारंपरिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है। यह केवल कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा मात्र नहीं है, अपितु यह मानवीय संज्ञान (Cognition) का मशीनी प्रतिरूपण है। जहाँ मानव मस्तिष्क अनुभव और संवेदनाओं से सीखता है, वहीं AI 'विशाल डेटा' (Big Data) और जटिल कलन-विधि (Algorithms) के माध्यम से स्व-शिक्षण और तार्किक विश्लेषण की क्षमता प्राप्त करता है।

आधुनिक विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक पक्ष (Pros):

AI की व्यापकता ने उत्पादकता और नवाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लाभों का विवरण निम्नलिखित है:

1. अभूतपूर्व परिशुद्धता और दक्षता (Unprecedented Precision):

मानवीय क्रियाओं में थकान, उकताहट या भावुकता के कारण त्रुटि की संभावना सदैव बनी रहती है। इसके विपरीत, AI संचालित प्रणालियाँ गणितीय शुद्धता के साथ कार्य करती हैं। जटिल गणनाओं, सूक्ष्म शल्य चिकित्सा (Micro-surgery) और वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसकी 'शून्य-त्रुटि' नीति इसे अपरिहार्य बनाती है।

2. संज्ञानात्मक स्वचालन (Cognitive Automation):

आधुनिक उद्योगों में पुनरावृत्ति वाले कार्यों (Repetitive tasks) को AI ने अपने हाथों में ले लिया है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि मानव संसाधन को अधिक 'सृजनात्मक' और 'रणनीतिक' कार्यों में नियोजित करने का अवसर मिलता है।

3. स्वास्थ्य सेवा में प्राणरक्षक भूमिका:

चिकित्सा जगत में AI का आगमन एक वरदान सिद्ध हुआ है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस (Predictive Analysis) के माध्यम से रोगों के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही उनकी पहचान संभव हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग और औषधि निर्माण में AI शोध की गति को कई गुना बढ़ा चुका है।

4. विषम परिस्थितियों में सहायक:

खतरनाक औद्योगिक वातावरण, अंतरिक्ष की गहराइयों या विषाक्त कचरे के प्रबंधन में जहाँ मानव जीवन को जोखिम होता है, वहाँ AI-युक्त रोबोट्स पूर्ण कुशलता से कार्य निष्पादित करते हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नकारात्मक पक्ष एवं चिंताएँ (Cons):
विज्ञान का यह चमत्कार अपने साथ कुछ गंभीर नैतिक और सामाजिक जटिलताएँ भी लाया है:

1. आर्थिक असमानता और रोजगार का संकट:

स्वचालन (Automation) के कारण श्रम-प्रधान क्षेत्रों में नौकरियों का विस्थापन एक कटु सत्य है। बौद्धिक कार्यों में भी AI की बढ़ती दखलंदाजी ने 'व्हाइट कॉलर' नौकरियों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जिससे भविष्य में व्यापक आर्थिक विषमता उत्पन्न होने की आशंका है।

2. एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias):

AI प्रणालियाँ उसी डेटा से सीखती हैं जो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। यदि ऐतिहासिक डेटा में कोई सामाजिक या लैंगिक भेदभाव है, तो AI उसे और अधिक सुदृढ़ कर सकता है। यह निष्पक्ष न्याय प्रणाली और सामाजिक समरसता के लिए एक बड़ा खतरा है।

3. डेटा संप्रभुता और गोपनीयता का हनन:

AI के प्रभावी संचालन के लिए अत्यधिक निजी जानकारी का संग्रहण किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत गोपनीयता (Privacy) समाप्त होने का भय रहता है। निगरानी तंत्र (Surveillance) के रूप में इसका दुरुपयोग किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंताजनक है।

4. डीपफेक और सूचनात्मक युद्ध (Disinformation):

AI द्वारा निर्मित मिथ्या चित्र और वीडियो (Deepfakes) सत्य और असत्य के भेद को समाप्त कर रहे हैं। इसका उपयोग राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न करने, चरित्र हनन करने और समाज में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए किया जा सकता है।

5. अस्तित्वगत जोखिम (Existential Risk):

प्रख्यात वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि 'सुपर इंटेलिजेंस' (Super Intelligence) विकसित हो गया और वह मानवीय नियंत्रण से बाहर हो गया, तो यह मानवता के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। मशीनों में संवेदना और विवेक (Wisdom) का अभाव उन्हें विनाशकारी बना सकता है।

निष्कर्षतः, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी 'अग्नि' है जो सभ्यता को प्रकाशित भी कर सकती है और उसे भस्म भी। इसकी सफलता इस बात में निहित है कि हम इसके विकास को 'मानव-केंद्रित' (Human-centric) कैसे बनाए रखते हैं। तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सुदृढ़ नैतिक नियमावली और वैश्विक सहयोग की नितांत आवश्यकता है। हमें मशीनों को बुद्धिमान तो बनाना है, परंतु स्वयं को मशीनों का गुलाम बनने से बचाना है।

डॉ प्रबोध कुमार उपाध्याय
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, एसएमसी

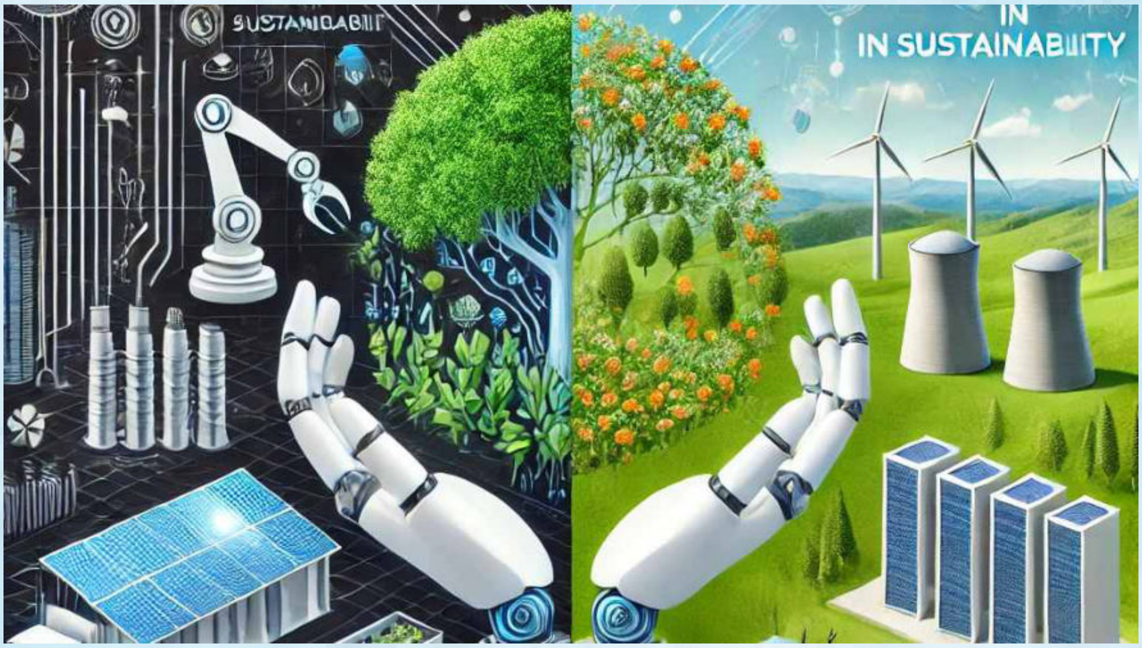

अहंकार

अंहकार से भरा यह मन
न मिलने दे तुझे स्वंय से
अंहकार की यही दीवार
दूर कर दे तुझे अपनों से।
अंहकार की राहें अक्सर
ले जाती है गलत दिशा में
हर मुस्कान छीन लेती है
झूठी शान की इस परीक्षा में।
मत पड़ने दे इसकी छाया
अपने जीवन के हर पल में
मत घुलने दे इस जहर को
अपने रिश्तों के कोमल कल में।
अहंकार आज नहीं तो कल
निश्चय ही टूट कर बिखरेगा,
पर तब तक कितने अपने
इस आग में जल कर बिछड़ेगा।
अपने रिश्तों को बाँध कर रख,
सहेज कर रख, सम्मान दे,
मत जलने दे उन्हें कभी
इस अंहकार की दहकती आग में।
क्यों बहाना उन्हें यूँ ही
झूठी शान और अभिमान में?
अंहकार से मुक्त वही है
जो जीता है प्रेम और पहचान में।

श्री विजय मावी
प्रशासनिक अधिकारी
विधिकार्य निदेशालय

सतर्कता सप्ताह 2025

प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों व निजी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से समाज में भष्ट्राचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया जाता है। भष्ट्राचार को आधिकारिक पदों पर कार्यरत लोगों द्वारा बेईमानी या अनैतिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो स्वंय को या किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है। भष्ट्राचार से राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अलावा और भी बहुत कुछ नष्ट हो जाते है। अतः भष्ट्राचार के उन्मूलन के लिए एक साथ कार्य करने हेतु जनता को संवेदनशील और प्रेरित करना आवश्यक है।

वर्ष 2025 में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 27 अक्तूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया जिसका विषय "सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी" , "Vigilance: Our Shared Responsibility " था।

विधिकार्य निदेशालय एवं एसएमसी में इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया एवं प्रधान आयुक्त महोदय द्वारा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से शपथ ग्रहण करवाया गया।

मेरी छोटी बहन

मेरी बहना है छोटी
बदमाशी उसकी पहुँची पर्वतों की चोटी।
सोना – उठना सब मेरे साथ
काम में मेरा बटाती है हाथ।।
हँसती रहती पूरे दिन
खाना न खाती मेरे बिन।।
कभी माँ के मेकप को सर पे लगाती
तो कभी मेरी कॉपी में निशान बनाती।।
आम और केला है उसको पसंद
लुका – छुपी खेलकर पाती आनंद।।
मेरी बहना प्यारी बहना
सदा मेरे साथ तुम रहना।

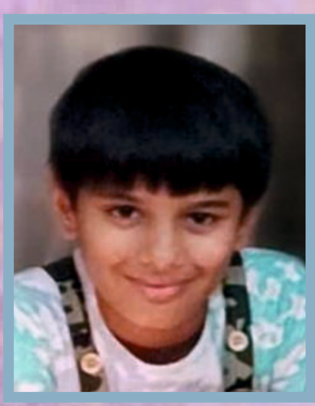

आबीर मुखर्जी
(कक्षा 5)
सुपुत्र – श्रीमती इप्सिता रॉय मुखर्जी
कार्यकारी सहायक

जिज्ञासा

जानने की इच्छा ही जिज्ञासा कहलाती है
जिज्ञासा ही ज्ञान को बढ़ाती है।
यह याद्दाश्त को बढ़ाती है
सोच को नियंत्रित करती है।
मैत्री भाव को पैदा करती है
समझने की क्षमता को बढ़ाती है।
घृणा को कम करती है
मानव जीवन शैली परिवर्तन लाती है।
अच्छे बुरे में ज्ञान पैदा करती है
शब्दों का सही उच्चारण करवाती है।
प्रकृती को अपना दोस्त बनाती है
जन्म और मरण से मुक्ति दिलाती है।
सोच को विस्तार करती है।
बिना गुरू के ज्ञान नहीं मिलता है।
ज्ञान के बिना जिज्ञासा पैदा नहीं होती है।
जिज्ञासा में संतुलन होना आवश्यक है
ज्ञान और अज्ञान में अंतर पैदा करती है
जिज्ञासु व्यक्ति में लेखक वाली भावना होती है
दोस्त की पहचान कराती है
जीवन को बदल देती है।
खुश रहने की इच्छा भी जिज्ञासा कहलाती है।
सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर पैदा करती है।
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है।
स्थितियों का ज्ञान कराती है।
सही और गलत में अंतर पैदा करती है।
जीवन में आशा पैदा करती है।
जिज्ञासा ही जीवन का आधार है।
जीवन को बदलने का कार्य करती है।
अधूरे ज्ञान को पूरा करती है।
जीने की आशा पैदा करती है।

श्री उमाकान्त
हेड हवलदार, विधिकार्य निदेशालय

चित्रकारी

कुमारी सनाया सिंह
(कक्षा- तृतीय)
सुपुत्री – श्री संजय कुमार
प्रशासनिक अधिकारी

चित्रकारी

कुमार समर सिंह
(कक्षा – प्रथम)
सुपुत्र- श्री संजय कुमार, प्रशासनिक अधिकारी
विधिकार्य निदेशालय

"नारी की उड़ान"

नन्हीं किरण सी चमक रही हूँ,
हर अंधियारे को ढक रही हूँ।
थाम लिया है आसमान मैंने,
अब हर हद से टकरा रही हूँ।

मैं केवल एक कहानी नहीं,
मैं सदीयों की पहचान हूँ।
संघर्षों में जो ना झुकी,
वो नारी की उड़ान हूँ।

कभी बहन, कभी माँ बनी,
कभी ममता तो कभी आग हूँ।
सहनशीलता मेरी ताकत है,
पर अन्याय के विरुद्ध बग़ावत हूँ।

मत कहो अब अबला मुझे,
हर बंधन तोड़ आई हूँ।
अपने हौसलों के पंखों से,
नया सूरज उगाई हूँ।

अब ना रोक सकेगी दुनिया,
अब ना कोई दीवार होगी।
हर सपने को सच करूँगी ,
मेरी ख़ुद की पहचान होगी ।

स्वरचित और मौलिक
अंजू 'अन्विता'
पत्नी, श्री विनोद कुमार अहिरवार, अपर आयुक्त
विधिकार्य निदेशालय

बचपन

मानो काँच की प्याली में भरी
नन्ही-नन्ही धूप की बून्दें,
जो उंगलियों से फिसलकर भी
दिल की हथेली पर चमक छोड़ जाती हैं।

वो उम्र...
जब पेड़ की छाया भी महल लगती,
और मिट्टी में दबी कंचों की आवाज़
संगीत-सा मन को बहलाती।

वो दिन...
जब ज़रा-सी बात पर ताली बजाकर
हम अपनी पूरी खुशी
दुनिया को सुना देते थे—
जैसे दिल में छुपा कोई त्योहार
अचानक बाहर छलक आया हो।

जब मिट्टी में बने छोटे-छोटे घरौंदे
सचमुच के महल लगते थे,
और रेत की एक सीधी-सी लकीर
हमारी पूरी सरहद बन जाती थी।

कागज़ की नावों में हम
समंदर ढूँढ लेते थे,
और एक टूटी हुई पेंसिल में भी
कितनी कहानियाँ लिख डालते थे।

वो समय...
जब नए चप्पल की चर्र-चर्र
उत्साह का संगीत लगती,
और किसी बड़े का सिर पर रखा
प्यार भरा हाथ
हमें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान
मानने पर मजबूर कर देता था।

बचपन...
अनुभवों का नहीं,
रंग-बिरंगे मेलों का मौसम है—
जहाँ आँसू भी बारिश की तरह
कुछ ही पल में धूप से मुस्कुरा उठते हैं।

काश...
जीवन की धक्का- मुक्की में
हम अपने भीतर के उस बच्चे को
कभी खोने न दें।

क्योंकि वही बचपन है
जो हमें सिखाता है—
मासूमियत ही सबसे बड़ा सौंदर्य है।

स्वरचित और मौलिक
अंजू 'अन्विता'
पत्नी, श्री विनोद कुमार अहिरवार, अपर आयुक्त
विधिकार्य निदेशालय

चित्रकारी

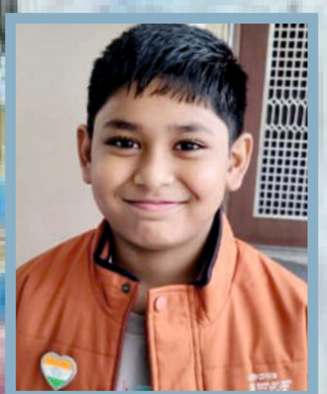

कुमार आरिव शास्वत
(कक्षा- तृतीय)
सुपुत्र श्रीमती एस. श्वेता, अधीक्षक
विधिकार्य निदेशालय

चित्रकारी

कुमार हर्षिल ठुकराल
(कक्षा- यू.के.जी)
सुपुत्र श्रीमती नेहा, डी.इ.ओ
विधिकार्य निदेशालय

खामोशी की आदत

भीड में रहकर भी तन्हा रहना सीख लिया हमने,
हर मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाना सीख लिया हमने।
जो अपने कहलाते थे वही सबसे दूर निकले,
इसलिए खामोशी से ही अब रिश्ता निभाना सीख लिया हमने।
किसी से कोई शिकवा नहीं, न किसी से कोई गिला,
हर अधूरी कहानी को चुपचाप अपनाना सीख लिया हमने।

श्री सुरेंद्र
एम.टी.एस
विधिकार्य निदेशालय

चित्रकारी

श्री जितेंद्र वर्मा
कर सहायक
विधिकार्य निदेशालय

चित्रकारी

कुमारी शाएशा चौहान
(कक्षा - 3)
सुपुत्री श्री यश चौहान
हवलदार
विधिकार्य निदेशालय

बातों बातों में नई सीख

पत्नीः आज धोने के लिए कपड़े ज्यादा मत निकालना.............

पतिः क्यों ?

पत्नीः अपनी कामवाली बाई दो दिन नहीं आएगी.......कह रही थी, त्यौहार है, नाती से मिलने बेटी के यहाँ जा रही है.........

पतिः ठीक है, अधिक कपड़े नहीं निकालता...........

पत्नीः उसे पाँच सौ रूपये दे दूँ क्या, त्यौहार का बोनस के रूप में.........

पतिः क्यों, अभी दिवाली आ रही है, तब दे देंगे..........

पत्नीः अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी के यहाँ जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा। इस महंगाई के दौर में अपनी पगार से त्यौहार कैसे मनाएगी बेचारी।

पतिःतुम भी ना......... जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाती हो..............

पत्नीः अरे नहीं........ चिंता मत करो......मैं आज का पिज्जा खाने का कार्यक्रम रद्द कर देती हूँ....खामख्वाह पाँच सौ रूपये उड़ जाएंगे, बासी पाव के आठ टुकड़े के लिए.......

पतिः वाह,वाह.......क्या कहने। हमारे मुँह से पिज्जा छीनकर बाई की थाली में!
तीन दिन बाद ....पोंछा लगाती हुई कामवाली बाई से पति ने पूछा....... क्या बाई, कैसी रही छुट्टी ?

बाईः बहुत बढ़िया रही साहब........ दीदी ने पाँच सौ रूपये दिए थे ना........... त्यौहार का बोनस..........

साहबः तो जा आई बेटी के यहाँ... मिल ली नाती से ?

बाईः हाँ साहब.......मजा आ गया, दो दिन में पाँच सौ रूपये खर्च कर दिए..........

नाती के लिए 150 रुपये की शर्ट, 50 रूपये की गुड़िया, बेटी को 50 रूपये पेड़े के लिए, 50 रूपये का मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, 60 रूपये का किराया लगा और 25 रुपये की चुड़ियां बेटी के लिए और जमाई के लिए 50 रुपये का बेल्ट लिया अच्छा सा......... बचे हुए 65 रुपये नाती को दे दिए कॉपी-पेंसिल खरीदने के लिए...........

झाड़ू-पोंछा करते हुए पूरा हिसाब उसकी जबान पर रटा हुआ था। 500 रुपये में इतना कुछ... साहब आश्चर्य से विचार करने लगा। उसकी आँखों के सामने आठ टुकड़े किया हुआ पिज्जा घूमने लगा, एक-एक टुकड़ा उसके दिमाग में हथौड़ा मारने लगा........... अपने एक पिज्जा के खर्च की तुलना वह कामवाली बाई के त्योहार खर्च से करने लगा। आठ टुकड़े, आठ खुशियाँ.........

आज तक उसने (साहब) पिज्जे की एक ही बाजू (पहलू) देखी थी, कभी पलटकर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा दिखता है............. लेकिन कामवाली बाई ने पिज्जे की दूसरी बाजू (पहलू) दिखा दी थी।

सीख- जीवन के खर्च या खर्च के लिए जीवन, यह अर्थ उसे समझ आ गया था।

श्री नागेंद्र पाण्डेय
निरीक्षक
विधिकार्य निदेशालय

सफलता

चोट खाकर भी जो मुस्कुराए, वही असली वीर है,
अंधेरे में दीप जलाए, वही जीवन का पीर है।
सपनों को जो सच कर दे, वो ही सच्चा कर्मयोगी,
हर ठोकर को एक सीख बनाए, वही बनता है जियोगी।
रास्ते हों चाहे मुश्किल, हौसला न कम होना चाहिए,
हर पल में विश्वास रहे, लक्ष्य कभी हमें खोना नहीं चाहिए।
पसीने की हर बूँद कहे, मेहनत रंग लाएगी,
जो थक कर भी ना रुके, सफलता वही पाएगा।
भीड़ से भी अलग चलना हो, तो साहस साथ लाना होगा,
हार हार को जीत बनाना, खुद से वादा निभाना होगा।
सफलता कोई संयोग नहीं, यह तो संघर्ष की कहानी है,
जो लिखे इसे अपने लहू से, वही असली जवानी है।

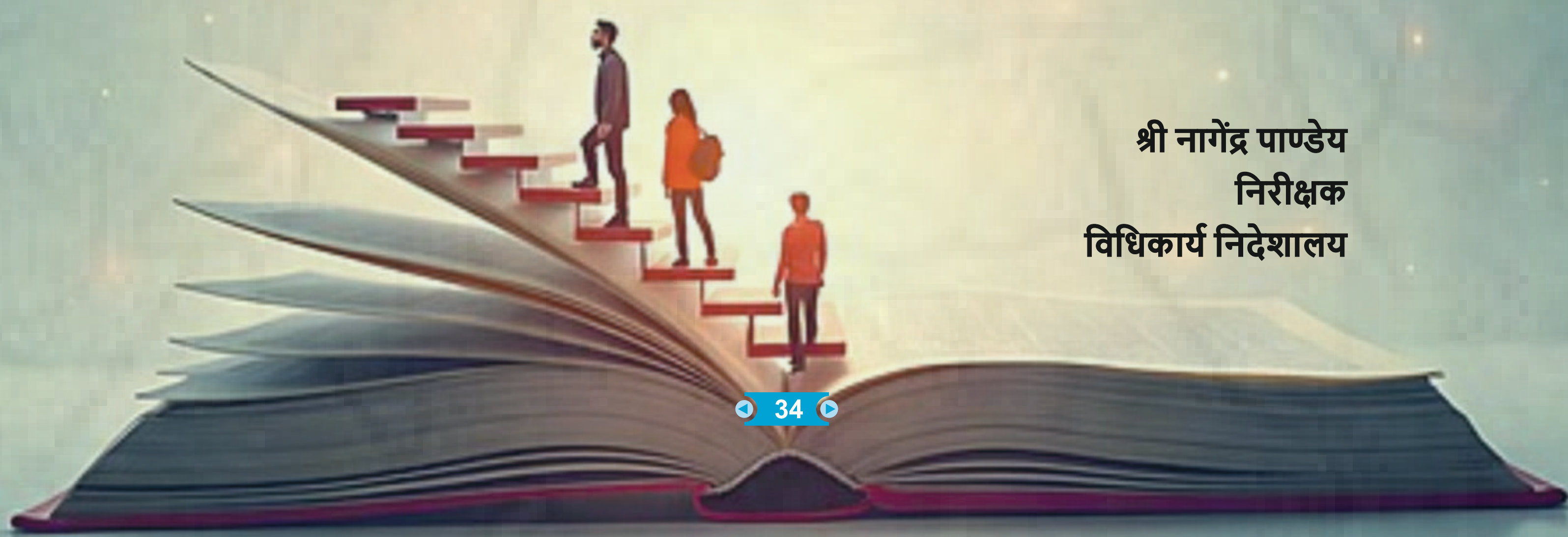

श्री नागेंद्र पाण्डेय
निरीक्षक
विधिकार्य निदेशालय

कार्यालय का पंचम तल पर विस्तार एवं नवोनिर्माण

विधिकार्य निदेशालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रधान आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में राजेंद्र भवन के पाँचवे तल को भी इसी कार्यालय का हिस्सा बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ। नव वर्ष 2026 के अवसर पर ईश्वर की पूजा अर्चना के साथ पाँचवे तल पर प्रवेश किया गया एवं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने इसमे सद्भावना के साथ अपनी उपस्थिती दर्ज की। इतना ही नहीं इसका नवोन्मेश कार्य भी बहुत ही सुंदर ढ़ंग से पूरा किया गया।

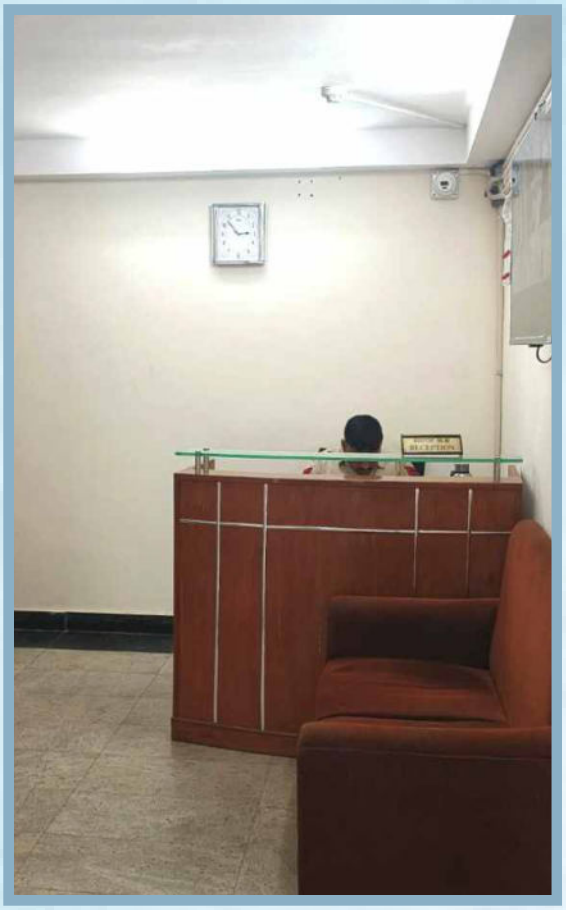

कविता - I

भारत से प्यार है क्योंकि
यहाँ मेरा संसार है,
गंगा जमना सरस्वती की,
बहती यहाँ जल धार है।
संत महापुरूष अवतार पीर फकीर और सन्यासी,
इस धरती पर हुए पैदा,
इस धरती के है वासी।
इस धरती की माटी की महिमा अपरम्पार है।
भारत से प्यार है क्योंकि,
यहाँ मेरा संसार है।

श्री राज अरोड़ा
(भाई, श्री राजेश अरोड़ा)
सहायक आयुक्त, एसएमसी

सीबीआईसी इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मेरे अनुभव

आदरणीय अधिकारीगण,

मेरी इंटर्नशिप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अंतर्गत आयोजित की गई, जो मेरे लिए एक अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक और अनुभवपूर्ण अवसर रही। इस इंटर्नशिप के माध्यम से मुझे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को नज़दीक से समझने का अवसर प्राप्त हुआ। यह अनुभव मेरे शैक्षणिक ज्ञान को व्यावहारिक दृष्टि से समझने में अत्यंत सहायक रहा।

इंटर्नशिप के दौरान मुझे वस्तु एवं सेवा कर (GST), सीमा शुल्क तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों से संबंधित फाइलों, रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों का अध्ययन करने का अवसर मिला। इन दस्तावेजों के माध्यम से मुझे यह समझने में सहायता मिली कि कर प्रशासन किस प्रकार कार्य करता है और विभिन्न कानूनों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं नियमों को वास्तविक परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाता है। इससे मुझे कर कानूनों की संरचना और उनके व्यावहारिक उपयोग की बेहतर समझ विकसित हुई।

इस कार्यक्रम के दौरान मुझे कार्यालयीन प्रक्रियाओं जैसे फाइल मूवमेंट, नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की मूलभूत जानकारी भी प्राप्त हुई। मैंने यह जाना कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है और प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना कितना आवश्यक होता है। इसके साथ-साथ मैंने यह भी सीखा कि सरकारी कार्यों में समय-सीमा, अनुशासन और नियमों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करने से मुझे यह समझने में सहायता मिली कि किसी कार्य को सावधानी, स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाना चाहिए। उनके अनुभव और सुझावों से मुझे अपने कार्य में सुधार करने और नई बातें सीखने का अवसर मिला।

इंटर्नशिप के दौरान मेरी कार्यक्षमता, जिम्मेदारी की भावना तथा समय प्रबंधन कौशल में उल्लेखनीय सुधार हुआ। टीम के साथ मिलकर कार्य करने से सहयोग की भावना विकसित हुई और वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करने के कारण मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। इससे मुझे कार्यस्थल पर व्यवहार और पेशेवर आचरण का महत्व समझ में आया।

इस इंटर्नशिप ने मुझे यह स्पष्ट रूप से समझने में सहायता की कि CBIC देश की आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से राजस्व संग्रह, व्यापार को सुगम बनाने तथा कर अनुपालन सुनिश्चित करने में। इस अनुभव ने मुझे कर कानून और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में भविष्य में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

अंत में, मैं CBIC के अंतर्गत यह इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान करने के लिए संस्था तथा सभी संबंधित अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता/करती हूँ। इस इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त ज्ञान और अनुभव मेरे शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन में सदैव उपयोगी सिद्ध होंगे।

धन्यवाद।

विशाल
(इंटर्न, सीबीआईसी)

सीबीआईसी इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मेरे अनुभव

मैं, प्रिंस राज सिंह, लीगल इंटर्न सीबीआईसी, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सीबीआईसी के इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त करना एक समृद्ध और शैक्षणिक अनुभव रहा है। इस कार्यक्रम ने न केवल मेरे ज्ञान का दायरा बढ़ाया है, बल्कि व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान कर मुझे सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र की गहन समझ भी दी है।

प्राप्त ज्ञान एवं कौशल:

इस इंटर्नशिप के दौरान मुझे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, विशेष रूप से जीएसटी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों, कानूनों और प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला। कर दस्तावेजों, रिटर्न फाइलिंग और अनुपालन प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना विशेष रूप से लाभप्रद रहा। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के मार्गदर्शन में मैंने विश्लेषणात्मक सोच, रिपोर्ट लेखन और टीम के साथ समन्वय स्थापित करने के कौशल का विकास किया है।

कार्य अनुभव:

कार्यालयीन वातावरण में रहकर कार्य करने का यह मेरा पहला औपचारिक अनुभव था। यहाँ मुझे विभिन्न विभागों के दैनिक कार्यों, जैसे कि डाटा विश्लेषण, केस फाइलों का अध्ययन, आदेशों का मसौदा तैयार करना और आवश्यक शोध कार्य में सहयोग करने का मौका मिला। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों और चर्चाओं में शामिल होकर मैंने नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नज़दीक से देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित सेवा के महत्व को समझा।

व्यक्तिगत विकास:

यह इंटर्नशिप केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं रही। इसने मुझे समय प्रबंधन, पेशेवर संचार और जिम्मेदारी निभाने का अभ्यास कराया। जटिल नियमों को सरलता से समझने और उन पर कार्य करने की चुनौती ने मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि की है।

निष्कर्ष:

सीबीआईसी की यह इंटर्नशिप मेरे लिए एक बहुमूल्य पड़ाव रही है। इसने मेरे सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच की खाई को पाटने का कार्य किया है। मैं इस अवसर के लिए सीबीआईसी और मेरे मार्गदर्शक अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में प्राप्त इस ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकूंगा।

प्रिंस राज सिंह
इंटर्न (सीबीआईसी)

हिंदी पखवाड़ा 2025

विधिकार्य निदेशालय में दिनांक 14 सितंबर, 2025 से 28 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विधिकार्य निदेशालय एवं एसएमसी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के समापन एवं पुरस्कार वितरण दिनांक 29-09-2025 को अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त महोदय द्वारा किया गया। प्रतियोगिताओं में पुरस्कार स्वरूप प्रथम पुरस्कार 3000/- दूसरा पुरस्कार 2000/- तृतीय पुरस्कार 1000/- एवं सांत्वना पुरस्कार 500/- रु प्रदान किया गया। समापन के अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा चलाई गई हिंदी प्रोत्साहन योजना अर्थात पूरे वर्ष में हिंदी भाषा में सबसे अधिक टिप्पणी व आलेखन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी को भी पुरस्कृत किया गया।

हिंदी पखवाड़ा, 2025 के दौरान आयोजित प्रतियोगितों के विजेता इस प्रकार हैं-

हिंदी निबंध प्रतियोगिता				
क्रम सं.	अधिकारी का नामः सर्व श्री /सुश्री	पदनाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि
1.	अतुल यादव	कार्यकारी सहायक	प्रथम	3,000/-
2.	चंद्र प्रकाश शर्मा	निरीक्षक	द्वितीय	2,000/-
3.	संजय कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	तृतीय	1,000/-
4.	प्रफुल्ल	हवलदार	सांत्वना	500/-

हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता				
क्रम सं.	अधिकारी का नामः सर्व श्री/ सुश्री	पदनाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि
1.	चंद्र प्रकाश शर्मा	निरीक्षक	प्रथम	3,000/-
2.	मनोज शर्मा	अधीक्षक	'द्वितीय'	2,000/-
3.	संजय कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	तृतीय	1,000/-
4.	कोषांगी गुप्ता	स्टेनो ग्रेड-1	सात्वंना	500/-

हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता				
क्रम सं.	अधिकारी का नामः सर्व श्री/ सुश्री	पदनाम	प्राप्त स्थान	पुरस्कार राशि
1.	चद्र प्रकाश शर्मा	निरीक्षक	प्रथम	3,000/-
2.	विजय मावी	प्रशासनिक अधिकारी	'द्वितीय'	2,000/-
3.	अमृत कुमार	स्टेनो ग्रेड -2	तृतीय	1,000/-
4.	कोषांगी गुप्ता	स्टेनो ग्रेड -1	सांत्वना	500/-

कविता - II

मन ना माने
मन ना समझे
मन की बातें
मन ही जाने
इत उत डोले
मनवा हर दम
मन जो समझे
मन पहचाने
मन के हारे
हार कहत है
मन को जीते
जग उसे जाने
मन के खेल
नियारे बंदे
तू ना मन की
बाते जाने

श्री राज अरोड़ा
(भाई, श्री राजेश अरोड़ा)
सहायक आयुक्त, एसएमसी

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन व पुरस्कार वितरण समारोह

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

कार्यालय में “स्वच्छता ही सेवा” शपथ ग्रहण समारोह - 2025

विधिकार्य निदेशालय में दिनांक 17-09-2025 से 02-10-2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया एवं इसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने जोर – शोर से भाग लिया तथा कार्यालय के साथ-साथ तिलक नगर रेलवे स्टेशन परिसर, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, कार्यालय परिसर का कुछ हिस्सा भी साफ किया।

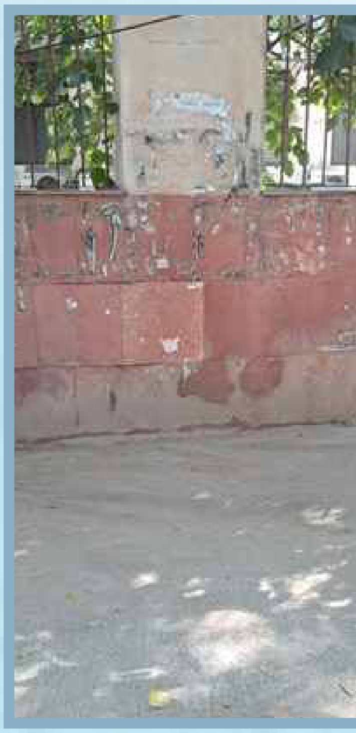

"स्वच्छता ही सेवा 2025"
स्वच्छ भारत दिवस - "स्वच्छोत्सव"
विधिकार्य निदेशालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
24 September 2025 2:40 pm

Anuvrat Bhawan
24 September 2025 2:37 pm

"स्वच्छता ही सेवा 2025"
स्वच्छ भारत दिवस - "स्वच्छोत्सव"
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सितंबर 2025 से 02 अक्टूबर 2025

सत्यनाम सतगुरु
कबीर साहब

सात समंद की मसि करौं, लेखनि सब बनराइ।
धरती सब कागद करौं, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ॥

यदि मैं सातों समुद्रों के जल की स्याही बना लूँ तथा समस्त वन समूहों की लेखनी कर लूँ, तथा सारी पृथ्वी को काग़ज़ कर लूँ, तब भी परमात्मा के गुण को लिखा नहीं जा सकता। क्योंकि वह परमात्मा अनंत गुणों से युक्त है।

शीर्षक: महँगाई की छाया

सुबह का अख़बार हाथ में लेते ही रमेश ने गहरी साँस ली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में छपा था— "महँगाई दर में फिर उछाल।" उसने अख़बार मोड़ा और रसोई की ओर देखा। गैस का सिलेंडर आधा खाली था, सब्ज़ी की टोकरी में बस दो आलू और एक प्याज़ पड़े थे।

"आज सब्ज़ी लानी है," सरला ने कहा, "लेकिन सोच रही हूँ, आधी ही लाऊँ।"

रमेश मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, "आधी नहीं, आजकल तो चौथाई में ही काम चलाना पड़ता है।"

बाज़ार पहुँचते ही उसे महँगाई का असली चेहरा दिखा। टमाटर के दाम सुनकर वह ठिठक गया।
"भैया, टमाटर सोने के भाव बिक रहे हैं क्या?" उसने मज़ाक में पूछा।

सब्ज़ीवाले ने फीकी हँसी के साथ जवाब दिया, "भैया, सोना तो फिर भी सस्ता लगने लगा है।"
पास ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला कह रही थी, "पहले सौ रुपये में थैला भर जाता था, अब वही सौ रुपये बस आवाज़ भर देते हैं।"

रमेश के मन में अपने बेटे अमन की स्कूल फ़ीस, बूढ़े पिता की दवाइयाँ और महीने का किराया एक-एक कर घूमने लगे। तनख़्वाह वही थी, लेकिन ज़िंदगी की क़ीमत हर महीने बढ़ रही थी।

शाम को घर लौटते समय बस में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से बोली, “माँ, आज चॉकलेट नहीं लोगी?” माँ ने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा, “इस बार नहीं बेटा, अगली बार।”

उस “अगली बार” में रमेश ने अपना आज और कल दोनों देख लिया।

रात को खाना सादा था—दाल, रोटी और चुप्पी। अमन ने पूछा, “पापा, क्या हम कभी बाहर खाना नहीं खाएँगे?”

रमेश ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, “ज़रूर खाएँगे बेटा, जब महँगाई थक जाएगी।”

सरला मुस्कुरा दी। उसी मुस्कान में उम्मीद थी, संघर्ष था और एक अनकही जिद भी। बाहर शहर की रोशनियाँ चमक रही थीं, लेकिन हर घर के भीतर महँगाई की परछाईं थी।

फिर भी रमेश ने तय किया—कल फिर काम पर जाएगा, फिर मेहनत करेगा। क्योंकि महँगाई चाहे जितनी बढ़े, सपनों का दाम वह बढ़ने नहीं देगा।

अजय कुमार मल्होत्रा
स्टेनो ग्रैड ।
एसएमसी

विधिकार्य निदेशालय एवं एसएमसी परिसर में तत्कालीन सदस्य महोदय का स्वागत किया गया

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तत्कालीन सदस्य महोदय, श्री विवेक रंजन के अधिकारिक दौरे पर विधिकार्य निदेशालय एवं एसएससी में उनका स्वागत दिनांक 7.08.2025 किया गया एवं भेंटस्वरूप उन्हें गुलदस्ता व अशोक स्तंभ दिया गया। सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने उनके बहुमूल्य अनुभवों से अपनी ज्ञानवृद्धि की।

विधिकार्य निदेशालय द्वारा नेत्रहीन विद्यालय में अलमारियाँ एवं अन्य जरूरत की वस्तुएँ प्रदान की गई

गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधिकार्य निदेशालय की ओर से स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वच्छता फंड से राष्ट्रीय व्रिजानन्द अन्ध कन्या विद्यालय, नई दिल्ली एवं द ब्लाईंड रिलीफ एसोसियेशन, दिल्ली को समान रखने हेतु अलमारियाँ एवं अन्य जरूरत की वस्तुएँ प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यालय से अधिकारियों व कर्मचारियों ने निजी तौर पर वहाँ पहुँच कर उनका मनोबल भी बढ़ाया।

राजभाषा अधिनियम से साक्षात्कार

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--

a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

b. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

c. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

a. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

b. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-

c. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

d. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

e. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

f. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

g. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

h. 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

i. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

j. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

k. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

l. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

2. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क'या'ख'में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

a. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

b. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग'में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

d. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं; परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--

i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा; परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

5. **हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--**

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।

6. **हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-**

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. **आवेदन, अभ्यावेदन आदि-**

0. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

1. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

2. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना,जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. **केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -**

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

a. यदि किसी कर्मचारी ने-

i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीकाा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

1. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

3. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।

2. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

0. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

1. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

3. अनुपालन का उत्तरदायित्व-

0. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

ii. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है;और

iii. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन

विधिकार्य निदेशालय से श्री अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त आयुक्त महोदय की दिनांक 29.11.2025 को एवं श्रीमती अमरेश्वती, प्रशासनिक अधिकारी की दिनांक 29.08.2025 को सेवानिवृती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं इस अवसर पर उनके परिवारजनों को भी आमंत्रित किया गया।

नोट- इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में वयक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार है, उनसे संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

विधिकार्य निदेशालय
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
चतुर्थ एवं पाँचवा तल, राजेंद्र भवन, 210
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002